

1350 I-1350 Ann 7(A) 65



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

020711

22

विक्रय विलेख भूमि

क्षेत्र	-	
बैनामा अंकन	-	34,50,000 / -
सरकारी कीमत	-	34,50,000 / -


Handwritten signature

Handwritten signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

020712




2

HIRANJAN SINGH
Deed Writer/Flower

स्टाम्प शुल्क - 2,76,000/-
आ. वि. शुल्क - 69,000/-
कुल - 3,45,100/- [अंकन 1,38,000/- रुपये का स्टाम्प
शुल्क रजिस्ट्री इकरारनामा दिनांक 26-06-2006 दस्तावेज नम्बर 5345 को एवं शेष
2,07,100/- रुपये का स्टाम्प शुल्क आज अदा किया गया है]

Handwritten signature/initials


Handwritten signature/initials



उत्तर प्रदेश U

ESH

020713




NIR...
Hapur

3

हम कि तययब कुरेशी पुत्र स्व. मोहम्मद खलील निवासी सिकन्दरगेट हापुड परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद (विक्रेता) अन्तरणकर्ता व

males





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

SUB TREASURY
10/01/2000
S. P. SHARMA
HAPUR

020714

4


आर. एस. विल्डवेल प्रा. लि., बी-98, अबुल फजल अपार्टमेंट 22, वसुन्सधरा एन्कलेव दिल्ली - 110096 द्वारा अधिकृत मैनेजर मनोज मणि चतुर्वेदी पुत्र श्री यू. एस. चतुर्वेदी निवासी बी-98, अबुल फजल अपार्टमेंट 22, वसुन्सधरा एन्कलेव दिल्ली - 110096 (क्रेता) अन्तरिति।

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



020716

6


मुक्त है तथा भार मुक्त एवं विवाद रहित है बैंक लोन व जमानत सरकारी व गैरसरकारी आदि-आदि से पाक साफ है, भूमि को विक्रय करने में किसी प्रकार की वैधानिक या अवैधानिक आपत्ति नहीं है को अन्तरणकर्ता सब अधिकार व हर प्रकार स्वत्व भूमिधरी, बो,

Sub

maues



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



020715

5

विदित हो कि भूमि जिसका पूर्ण विवरण अगले खण्ड में दिया गया है, जिसका अन्तरणकर्ता मालिक, स्वामी, काबिज है और उसको हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकारी है जो कि आज दिन तक हर प्रकार के ऋण, हस्तान्तरण, भार, अधिभार आदि-आदि दोषो से

Cub

in need



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11 FEB 2008
S. P. SHARMA
* HAPUR *


020717

7

जोत, डोला, मेढ, देनदारी, लगान सरकारी आदि-आदि को अपनी स्वेच्छा प्रसन्नता व स्वस्थ मनोबुद्धि की दशा में बिना दबाव, पढवाकर, सुनकर, समझकर तथा सन्तुष्ट होकर बदले अंकन 34,50,000/- रुपये आधे जिसके 17,25,000/- रुपये होते हैं, हाथ अन्तरिति को पूर्ण प्रकार से अन्तरण किया व बेच दिया तथा कुल रुपया निम्नानुसार

Sub

Moghad



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11 FEB 2008
S. P. SHARMA
* HAPUR *


020718

8

जिसका पूर्ण विवरण आगे दिया गया है, के द्वारा प्राप्त किया, मूल्य में कोई पैसा शेष नहीं बचा है और ना ही भविष्य में माना व समझा जावेगा, विक्रीत भूमि पर अन्तरिति को मालिक, स्वामी व काबिज करा दिया है, अधिकार का परिवर्तन हो गया है अब अन्तरणकर्ता

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14 FEB 2009

020719


S P SHARMA
CHAIR

9


व वारिसान अन्तरणकर्ता का विक्रीत भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है और ना ही भविष्य में माना व समझा जावेगा, अमल दरामद अन्तरिति इसका माल विभाग में करा ले। विक्रीत भूमि यदि किसी के वाद-विवाद से कुल या भाग विक्रय भूमि अन्तरिति के

Handwritten signature

males



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




020720

10


अधिकार व कब्जे से निकल जावे या अधिकार सुरक्षित करने के कारण अन्तरिति को कुछ रुपया ओर देना पड़े या विक्रीत भूमि आड, बय, लोन आदि-आदि से ग्रस्त पायी जाती है या अन्तरणकर्ता निम्न भूमि विक्रय करने के अधिकारी सिद्ध न हो तो ऐसी प्रत्येक दशा मे

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



020721

11

अन्तरिति को अधिकार रहेगा कि वह उक्त भूमि का बाजार मूल्य या भाग वह रुपया जोकि उसको और देना पडा हो मय हर्जा-खर्चा व ब्याज दर कानून सहित नियमानुसार अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता की चल-अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वापिस प्राप्त कर ले, अन्तरणकर्ता को कुछ विरोध नहीं होगा, अन्तरिति भूमि मे कास्त करे या विक्रय करे, इसमें अन्तरणकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी। कब्जा मौके पर अन्तरिति को


Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




020722

12

करा दिया गया है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत ऐसे सभी तथ्य तथा परिस्थिति यां जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते हैं को लेखपत्र में सत्यतापूर्वक अंकित कर दिये गये हैं, कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

eb

Hapur



06AA 424639

13

विक्रण भूमि विक्रीत: स्थित हाफुड परगना व तहसील हाफुड जिला गाजियाबाद मे खाता संख्या 1708 खसरा संख्या 1490/1 रकबा 0.0560 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1474 रकबा 0.1260 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1475 रकबा 0.0890 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1476/2

ceb

anwar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 FEB 2008

C 656038

S. P. SHARMA
HAPUR

15

हेक्टेयर है, मे से विक्रेता ने अपना हममी व तमामी पूर्ण 1/6 भाग रकबा 0.3117 हेक्टेयर भूमि इस लेख द्वारा विक्रय की है, अब अन्तरणकर्ता का कोई हक व हिस्सा उक्त खसरा संख्या मे शेष नहीं बचा है और ना ही भविष्य मे माना व समझा जावेगा। भूमि किस्म बाडा व कच्छियाना नहीं है, जिसपर रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या 1 के अनुसार सरकारी दर

ceb

may 2008



Asst
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


D 011459

16

62,50,000/- रुपये प्रतिहेक्टेयर से अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उक्त भूमि ग्राम की आबादी के 200 मीटर की परिधि के बाहर है, क्रेता विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है, भूमि में कोई पेड या ट्यूबवैल आदि नहीं लगा है, उक्त भूमि में वर्तमान में कृषि

Sub

maus



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 011460


17

हो रही है, उक्त भूमि की सीमाएं संलग्न नक्सेनुसार है। उक्त भूमि किसी जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है जो सड़क से लगभग 500 मीटर से अधिक दूर है। श्रीमान तहसीलदार हापुड आदेश दिनांक 15-02-2006 के द्वारा खसरा संख्या 1479/1 के स्थान पर खसरा संख्या 1479/2 दर्ज किया गया है।

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to the high contrast and grain of the scan.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 011461

18

विवरण प्राप्त धनराशि: उक्त कुल मूल्य में से 5,15,000/- रुपये रजिस्ट्री इकरारनामा व शेष 29,35,000/- बजरिये चैक नम्बर 692991 सिंडिकेट बैंक, कोठी गेट हापुड दिनांक 15-11-2008 के द्वारा प्राप्त किया, यदि उक्त चैको का भुगतान नहीं होता है तो ऐसी दशा में यह विक्रय विलेख स्वतः ही शून्य व निरर्थक हो जायेगा तथा निरस्त माना जावेगा, तथा प्रतिज्ञा पत्र के समय जो भी रकम दी गई है, वह भी जब्त मानी व समझी जावेगी।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 011462

19

चैक का भुगतान होने पर ही केता भूमि का दाखिल खारिज करा सकेंगे एवं विकीत भूमि पर भौतिक कब्जा चैको के भुगतान के बाद दिया जायेगा।

अतः यह लेख विक्रय-विलेख अपनी स्वेच्छा, प्रसन्नता, सदबुद्धि व चेतन्य मन की अवस्था में बिना दबाब लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। विक्रय विलेख में अन्तरणकर्ता की पहचान अन्तरिति व अन्तरिति की पहचान अन्तरणकर्ता ने की है

Handwritten signature

Handwritten signature